



# कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वाररोड़, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org, Phone: 0135 2665366

पत्रांक: उ0चि0से0च0बो0/परी0/14/2024-25/565

दिनांक 20 सितम्बर 2024

**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) के रिक्त 1564 पदों पर जारी परीक्षा परिणाम के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची हेतु नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीधारक के ऑनलाईन आवेदन पत्रों के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों हेतु सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 3प/पैरा/उप0/39/2022/23242, दिनांक 09 सितम्बर 2024 तथा 3प/पैरा/उप/39/2022/23255 दिनांक 11 सितम्बर 2024 द्वारा कुल 45 अभ्यर्थियों की चयन की संस्तुति को निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। संस्तुति निरस्त किये गये अभ्यर्थियों का पदवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदनाम	पदकोड	संस्तुति निरस्त किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
1	नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिप्लोमाधारक	101	15 (अनारक्षित- 10, अनुसूचित जनजाति- 01, अन्य पिछड़ा वर्ग- 01, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 01, अनारक्षित- पूर्व सैनिक- 01, अन्य पिछड़ा वर्ग - दिव्यांगजन- 01)
2	नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीधारक	102	21 (अनारक्षित- 13, अनुसूचित जनजाति- 01, अन्य पिछड़ा वर्ग-03, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 01, अनुसूचित जाति- 03 )
3	नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिप्लोमाधारक	103	05 (अनारक्षित- 03, अनारक्षित- स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित - 01, अनारक्षित- दिव्यांगजन- 01)
4	नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिग्रीधारक	104	04 (अनारक्षित- 03, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 01)

02- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0(न0अधि0)/10/2021-22/08, दिनांक 03 जनवरी, 2023 यथासंशोधित विज्ञापित संख्या 119/2023 दिनांक 11 जनवरी 2023 तथा विज्ञापित संख्या 121/2023 दिनांक 01 फरवरी 2023 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत (समूह-"ग ") नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) के कुल रिक्त 1564 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। बोर्ड के पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0/27/2022-23/450, दिनांक 15 मई, 2023 के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर श्रेणी-उपश्रेणीवार रिक्तियों की संख्या से लगभग डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 31 मई, 2023 (बुधवार) से दिनांक 28 जून, 2023 (बुधवार) तक प्रातः 10:00 बजे से कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23 लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून में आमंत्रित किया गया तथा पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0/11/2023-24/552, दिनांक 17 जून 2023 द्वारा ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा आवेदन करते समय त्रुटिवश आवेदन पत्र में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष गलत अंकित किया गया एवं वे अभिलेख सत्यापन हेतु दावा करते हैं, और वे बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्धारित वर्षवार के अनुसार सम्बन्धित वर्ष, सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी से सम्बन्ध रखते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को दिनांक 30 जून 2023 को अभिलेख सत्यापन हेतु बोर्ड कार्यालय में अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित किया गया। तदोपरान्त नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं सेवा नियमावली के मानकों के आधार पर वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी के अभिलेख

सत्यापन के समय डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर क्षैतिज तथा लम्बवत् आरक्षण का लाभ देते हुए अन्तिम परीक्षा परिणाम पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0/27/2022-23/803 दिनांक: 12 सितम्बर 2023, पत्र संख्या: उ0चि0से0च0बो0/परी0/27/2022-23/01 दिनांक: 01 जनवरी 2024 तथा पत्र संख्या: उ0चि0से0च0बो0/परी0/27/2022-23/81, दिनांक: 31 जनवरी 2024 द्वारा घोषित किया गया।

**03-** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा चाही गई प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में मात्र नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीधारक पदकोड 102 में अनारक्षित श्रेणी (Unreserved Category) के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। अन्य शेष पदों पर प्रतीक्षा सूची में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध है। बोर्ड द्वारा नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीधारक में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनका उत्तीर्ण वर्ष 2014 है तथा प्राप्तांक 70 प्रतिशत अंक तक धारित करते हो, को दिनांक 28 सितम्बर 2024 बोर्ड कार्यालय में अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित किये गये अभ्यर्थियों के पंजीकरण संख्या निम्नानुसार है:-

1004006102	1004000241	1004007025	1004017088	1004010800	1004003122
1004000692	1004017120	1004003221	1004010082	1004016732	1004014904
1004009709	1004009950	1004010036	1004007102	1004018056	1004004183
1004009664	1004007579	1004015304	1004013547	1004016138	1004004695
1004000303	1004013249	1004002220	1004011101	1004015992	1004007505
1004009387	1004019089	1004013536	1004003123	1004005312	1004012388

**04-** अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की तिथि को मूल अभिलेखों के साथ सम्बन्धित अभिलेखों की 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्न अनुक्रम में प्रस्तुत करेंगे:-

1. नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) परीक्षा 2023 के ऑनलाईन आवेदन पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
2. 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ। (अनिवार्य)
3. हाईस्कूल अंकपत्र (अंकतालिका)- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
4. हाईस्कूल प्रमाण पत्र- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
5. इण्टरमिडिएट अंकपत्र (अंकतालिका)- 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)
6. इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र- 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)
7. Post Basic B.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing Degree प्रत्येक वर्ष के अंकपत्र/अंकतालिका- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
8. Degree प्रमाण पत्र- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
9. उत्तराखण्डनर्सिंग तथा धात्री परिषद पंजीकरण का वैध/नवीनीकृत प्रमाण पत्र - 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)
10. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र अथवा प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा का प्रमाण पत्र (यदि उल्लेख किया हो)- 02 स्वप्रमाणित प्रति।
11. स्थाई निवास प्रमाण पत्र (यदि उल्लेख किया हो) - 02 स्वप्रमाणित प्रति
12. अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता-पिता/पति/पत्नी आर्मी/पैरामिलिट्री/केन्द्र अथवा राजकीय विभाग में, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड राज्य से स्थानान्तरण नहीं हो सकती है, कार्यरत हैं सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि उल्लेख किया हो)- 02 स्वप्रमाणित प्रति।
13. आरक्षण का लाभ पाने वाली अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति, जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक नियमानुसार वैध हो। (यदि उल्लेख किया हो)- 02 स्वप्रमाणित प्रति।

14. स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित/पूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे सम्बन्धी प्रमाण पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति। (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है) – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
15. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन नियमित रूप से कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक का “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” की 02 स्वप्रमाणित प्रति। (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है) – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
16. यदि अभ्यर्थी का उपनाम (Surname/Last Name) विवाह के पश्चात् परिवर्तन किया गया है और उसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो, इस सम्बन्ध में विवाह प्रमाण पत्र अथवा रु0 10.00 के नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।— 02 स्वप्रमाणित प्रति।
17. अन्य प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, की 02 स्वप्रमाणित प्रति। (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)

अभ्यर्थी उक्त अभिलेखों को इसी क्रम में अलग-अलग दो सैट में सत्यापन पटल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सत्यापन पटल के समक्ष उपरोक्तानुसार इंगित मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के दो अलग-अलग सैट क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करेंगे। मोबाइल पर प्रस्तुत किये गये कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की छायाप्रति करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। अभिलेख सत्यापन स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन स्थल पर बच्चे/बुजुर्ग/परिचित इत्यादि को साथ में लाना सख्त मना है।

अभ्यर्थियों की सूचित किया जाता है कि परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाना कानूनन अपराध है। जब तक बोर्ड कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना प्रसारित नहीं की जाती है तब तक किसी भी भ्रामक/तथ्यहीन/झूठी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार ना करें।

ह0/-

(प्रो0 विजय जुयाल)

परीक्षा नियंत्रक

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,

देहरादून।